[2018] 3 एस.सी.आर. 36

सिंह राम

बनाम

निर्मला और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 2103 वर्ष 2018)

मार्च 06, 2018

[दीपक मिश्रा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ए.एम. खानविलकर और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगढ़]

मोटर यान अधिनियम 1988 - धारा 166 - मुआवजा - लाइसेंस नकली होने पर भुगतान करने का दायित्व - तथ्यों पर, बीमित व्यक्ति के पास घटना के समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था - नीचे दी गई न्यायालयों द्वारा उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक-सह-चालक पर मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व - बीमा कंपनी को मालिक से भुगतान करने और वसूली करने का निर्देश दिया गया - हस्तक्षेप के साथ हस्तक्षेप: नहीं बुलाया गया - मालिक ने साक्ष्य में गवाही नहीं दी - उसने एक लाइसेंस पेश किया जो नकली पाया गया - एक और लाइसेंस जिसे उसने पेश करने की मांग की थी, वह दुर्घटना से पहले ही उसकी वैधता समाप्त हो चुका था और निर्धारित अवधि के भीतर नवीनीकृत नहीं किया गया था - मालिक स्पष्ट रूप से यह पता लगाने में उचित ध्यान देने में विफल रहा कि क्या ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस, नकली या अन्यथा, कानून की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं - वह अपनी जानकारी के भीतर तथ्यों से अनजान नहीं हो सकता था - इस प्रकार, नीचे दी गई न्यायालयों द्वारा निर्देश कि बीमा कंपनी को मालिक से भुगतान करने और वसूली करने के निर्देश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

वर्तमान मामले में, बीमित व्यक्ति के पास दुर्घटना के समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। नतीजतन, नीचे की न्यायालयों ने बीमाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया। हालांकि, बीमाकर्ता को दावेदार को दिए गए मुआवजे का भुगतान करने और इसे उल्लंघन करने वाले मोटर साइकिल के मालिक-सह-चालक से वसूलने का निर्देश दिया गया था। इसलिए, वर्तमान अपील।

अपील निरस्त करते हुए न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया: यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मालिक ने साक्ष्य में गवाही नहीं दी और गवाह बॉक्स से दूर रहा। उन्होंने एक लाइसेंस पेश किया जो फर्जी पाया गया। एक अन्य लाइसेंस जो उन्होंने प्रस्तुत करने की मांग की थी, दुर्घटना से पहले ही उसकी वैधता समाप्त हो चुका था और निर्धारित अवधि के भीतर नवीनीकृत नहीं किया गया था। दो साल

समाप्त होने के बाद इसे अच्छी तरह से नवीनीकृत किया गया था। मालिक के रूप में अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से यह पता लगाने के लिए उचित सावधानी बरतने में विफल रहा था कि चालक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस, नकली या अन्यथा, कानून की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं (स्वर्ण सिंह का प्रस्ताव (vii)) क्योंकि वह उन तथ्यों से अनजान नहीं हो सकता था जो उसकी जानकारी में थे। इन परिस्थितियों में, अधिकरण द्वारा निर्देश, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने की है, जिसमें बीमा कंपनी को मालिक से भुगतान करने और वसूली करने का निर्देश दिया गया है, को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 8, 9] [41-ए-सी]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह **[2004] 1 एस.सी.आर. 180: (2004) 3 एस.सी.सी. 297 - पर निर्भरता।**

केस लॉ रेफरेंस

[2004] 1 एस.सी.आर. 180 पैरा 8 पर निर्भरता।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2103 वर्ष 2018।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा एफ.ए.ओ. नंबर 3790 वर्ष 2012 (ओ एंड एम) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 28.03.2014 से।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता आर.के. कपूर, रजत कपूर, सुश्री रेखा गिरी, अनीस अहमद खान, बलबीर सिंह गुप्ता।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता शीश पाल लालेर, सोनित सिंहमार, देवेश कुमार त्रिपाठी।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ द्वारा दिया गया,

1. बिलंब के लिए क्षमा प्रदान की गई।

2. मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत मुआवजे के दावे में, जगाधरी में यमुनानगर में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ('अधिकरण'), ने पाया कि दुर्घटना के समय बीमित व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अधिकरण ने उस कारण से बीमाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया। हालांकि, बीमाकर्ता को दावेदार को दिए गए मुआवजे का भुगतान करने और इसे उल्लंघन करने वाले मोटर साइकिल के मालिक से वसूलने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने तीन अपीलों पर सुनवाई की: एक दावेदार द्वारा मुआवजे को बढ़ाने के लिए दायर की गई, दूसरी बीमा कंपनी द्वारा और तीसरी उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक-सह-चालक द्वारा। उच्च न्यायालय ने कहा कि **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह**[1] मामले में इस अदालत के फैसले के मद्देनजर, अधिकरण ने बीमाकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने और इसे उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक-सह-चालक से वसूलने का निर्देश देकर सही था।

---

[1] (2004) 3 एस.सी.सी. 297

वर्तमान अपील मालिक और चालक द्वारा दायर की गई है। अपील के समर्थन में केवल एक बिंदु का आग्रह किया गया है कि अधिकरण और उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता को वसूली का अधिकार देकर उस पर दायित्व तय करने में गलती की।

3. यह दुर्घटना 22 मार्च 2010 को हुई थी। मृतक सुनील कुमार मोटरसाइकिल पर सवार था जिस पर पंजीकरण संख्या एच.आर. 04बी-4673 नंबर था। अधिकरण ने पाया कि दुर्घटना अपीलकर्ता के तेज और लापरवाही के कारण हुई थी। तथ्य के इस निष्कर्ष को उच्च न्यायालय द्वारा बदला नहीं गया है। मृतक हरियाणा रोडवेज में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था और 11,928/- रुपये प्रति माह के वेतन पर लगा हुआ था। अधिकरण ने 50% की भविष्य की संभावनाओं की अनुमति दी, मृतक की उम्र 36 वर्ष से कम थी। व्यक्तिगत खर्चों के लिए कमाई के एक-चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि को काटने के बाद, अधिकरण ने 15 का गुणक लागू किया। कुल मुआवजे की गणना 24,15,420/- रुपये की गई थी, जिसमें अधिकरण ने पारंपरिक मदों के तहत 20,000/- रुपये की राशि जोड़ी थी। हालांकि, अधिकरण ने कहा कि मृतक के उत्तराधिकारियों को कर्मचारी से 12 साल की अवधि में मिलने वाली वित्तीय सहायता (16,16,112/- रुपये की राशि) को मुआवजे से काटना होगा। कटौती करने के बाद, अधिकरण ने दावा याचिका की तारीख से 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 8,19,500/- रुपये की राशि प्रदान की। उच्च न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाकर 16,04,912/- रुपये कर दिया है।

4. दावेदार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 7737 वर्ष 2015, जो इस अपील से जुड़ी थी, को 8 फरवरी 2018 को निरस्त कर दिया गया है।

5. उल्लंघन करने वाले मोटर साइकिल के मालिक-सह-चालक की वर्तमान अपील में, निवेदन यह है कि **स्वर्ण सिंह** (सुप्रा) में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को देखते हुए, बीमाकर्ता को दोषमुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए यह आग्रह किया गया है कि अपीलकर्ता से मुआवजे का भुगतान करने और वसूल करने के लिए बीमाकर्ता को दिए गए निर्देश को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि बीमाकर्ता पर एक संयुक्त और कई देयता निर्धारित की जा सके।

6. इससे पहले कि हम **स्वर्ण सिंह** (सुप्रा) में निर्णय का विज्ञापन करें, तथ्यों का एक संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक है क्योंकि वे अधिकरण के निर्णय से निकलते हैं। प्रारंभ में अधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता ने मोटर यान विभाग, आगरा द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया (प्रदर्श आर.-1)। ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी पाया गया। आरटीओ, आगरा के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक का बयान था कि कार्यालय द्वारा एक्सएचआर -1 जारी नहीं किया गया था। अधिकरण ने कहा कि गवाह ने विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट (प्रदर्श आर -2) को साबित कर दिया था और निष्कर्ष निकाला था कि लाइसेंस नकली था। इस स्थिति का सामना करते हुए, अपीलकर्ता ने यह साबित करने का प्रयास किया कि उसके पास मोटर साइकिल चलाने के लिए जगाधरी में लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। अधिकरण ने अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया। अधिकरण ने कहा कि

अन्यथा, लाइसेंसिंग प्राधिकरण, जगाधरी द्वारा ट्रैक्टर और कार के लिए जारी किया गया लाइसेंस केवल 29 अगस्त 2009 तक वैध था। यह दुर्घटना 22 मार्च 2010 को हुई थी। लाइसेंस समाप्त होने के दो साल बाद 28 नवंबर 2011 को नवीनीकृत किया गया था। इन तथ्यों पर, अधिकरण ने पाया कि दुर्घटना की तारीख पर, अपीलकर्ता के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और न ही यह इंगित करने के लिए कोई साक्ष्य था कि लाइसेंस की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर कानून में आवश्यक रूप से नवीनीकृत करने की मांग की गई थी। अधिकरण ने यह भी पाया कि अपीलकर्ता के पास मोटर साइकिल चलाने के लिए वैध लाइसेंस नहीं था। इन आधारों पर, बीमाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अधिकरण के भुगतान और वसूली के निर्देश की पुष्टि की है।

7. **स्वर्ण सिंह** (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के धारक के पास इसे नवीनीकृत करने के लिए इसकी समाप्ति पर तीस दिनों की अवधि है:

> “45. इस प्रकार, एक व्यक्ति जिसके लाइसेंस को आमतौर पर मोटर यान अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार नवीनीकृत किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि अंतरिम अवधि के दौरान, अर्थात्, जब दुर्घटना हुई और लाइसेंस की समाप्ति की तारीख थी, उसके पास वैध लाइसेंस नहीं था, वह निर्धारित अवधि के दौरान उसके नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता था और बिना किसी और परीक्षण से गुजरे या बिना स्वचालित रूप से इसके लिए अयोग्य घोषित हुए इसे प्राप्त कर सकता था। धारा 14 में संलग्न परंतुक में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि लाइसेंस इसकी समाप्ति के दिन से तीस दिनों की अवधि के लिए वैध रहता है।
>
> 46. अधिनियम की धारा 15 अधिकारियों को केवल इस आधार पर नवीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं देती है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता या अवधि में ब्रेक है, क्योंकि इस बीच धारा 19, 20, 21, 22, 23 और 24 में निहित ड्राइवर की अयोग्यता के प्रावधान आकर्षित नहीं होंगे, यह निर्विवाद रूप से व्यक्ति को अपने ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत करने का अधिकार प्रदान करेगा। इस मामले को देखते हुए उसे लाइसेंस मुक्त नहीं कहा जा सकता है और यह इसकी समाप्ति के बाद तीस दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगा।

निर्णय में निम्नलिखित निष्कर्ष को सारांश में दर्ज किया गया है:

> "(iii) पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन जैसे कि ड्राइवर की अयोग्यता या ड्राइवर का अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस, जैसा कि धारा 149 की उप-धारा (2)(ए)(ii) में निहित है, बीमाकर्ता को दायित्व से बचने के लिए बीमाधारक द्वारा किया गया साबित करना होगा। केवल अनुपस्थिति, नकली या अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस या संबंधित

समय पर ड्राइविंग के लिए ड्राइवर की अयोग्यता, बीमाकर्ता या तीसरे पक्ष के खिलाफ बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं है। बीमित व्यक्ति के प्रति अपनी देयता से बचने के लिए, बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति लापरवाही का दोषी था और विधिवत लाइसेंस प्राप्त चालक द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्त को पूरा करने के मामले में उचित देखभाल करने में विफल रहा या जो संबंधित समय पर ड्राइव करने के लिए अयोग्य नहीं था।

(iv) तथापि, बीमा कंपनियों को अपनी देयता से बचने की दृष्टि से न केवल उक्त कार्यवाहियों में उठाए गए उपलब्ध बचाव को स्थापित करना चाहिए बल्कि वाहन के मालिक की ओर से उल्लंघन भी स्थापित करना चाहिए; साक्ष्य का बोझ उन पर होगा।

(v) न्यायालय इस संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं कर सकता है कि उक्त भार का निर्वहन किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(vi) यहां तक कि यदि बीमाकर्ता चालक द्वारा वैध लाइसेंस रखने या संबंधित अवधि के दौरान गाड़ी चलाने के लिए उसकी योग्यता से संबंधित पॉलिसी शर्त के संबंध में बीमित व्यक्ति की ओर से उल्लंघन साबित करने में सक्षम है, तो बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति के प्रति अपनी देयता से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त पर उक्त उल्लंघन या उल्लंघने इतना मौलिक न हो कि दुर्घटना का कारण में सहभागिता पायी गई हो। पॉलिसी शर्तों की व्याख्या करते समय अधिकरण अधिनियम की धारा 149 (2) के तहत बीमाकर्ता को उपलब्ध बचाव की अनुमति देने के लिए "मुख्य उद्देश्य के नियम" और "मौलिक उल्लंघन" की अवधारणा को लागू करेंगे।

(vii) प्रश्न यह है कि क्या मालिक ने यह पता लगाने के लिए उचित सावधानी बरती है कि चालक द्वारा प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस (नकली या अन्यथा) कानून की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है या प्रत्येक मामले में निर्धारित नहीं किया जाना होगा।"

8. वर्तमान मामले में, जैसा कि अधिकरण द्वारा देखा गया है, यह नोट करना आवश्यक है कि मालिक ने साक्ष्य में गवाही नहीं दी और गवाह बॉक्स से दूर रहा। उन्होंने एक लाइसेंस पेश किया जो फर्जी पाया गया। एक अन्य लाइसेंस जो उन्होंने प्रस्तुत करने की मांग की थी, दुर्घटना से पहले ही समाप्त हो चुका था और निर्धारित अवधि के भीतर नवीनीकृत नहीं किया गया था। दो साल समाप्त होने के बाद इसे अच्छी तरह से नवीनीकृत किया गया था। मालिक

के रूप में अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से उचित देखभाल (**स्वर्ण सिंह** का प्रस्ताव (vii)) लेने में विफल रहा था क्योंकि वह उन तथ्यों से अनजान नहीं हो सकता था जो उसकी जानकारी में थे।

9. इन परिस्थितियों में, अधिकरण द्वारा भुगतान और वसूली के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निर्देश को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। तदनुसार, अपील को निरस्त किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

निधि जैन

अपील निरस्त।

अनुवादकर्त्ता:
प्रशांत कुमार सिंह
अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय